

तारीख हुकम	विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
13-3-24	<p>हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मोतीलाल सिंघानिया निवासी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (सामान्य अनुभाग) एवं अति० जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा प्रकरण संख्या :- 68 / 2023 जीसीएमएस नं. :- 2024 / (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p> <p>:- निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none"> पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित । अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 29.08.2023 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (सामान्य अनुभाग) एवं अति० जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु रेस्पोंडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है । लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (सामान्य अनुभाग) एवं अति० जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा ने पत्रांक/सामान्य/RTI/2022/30252 दिनांक 29.02.2024 से इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वांछित सूचना/जवाब कार्यालय पत्रांक/सामान्य/RTI/2023/30003 दिनांक 04.01.2024 को उपलब्ध करवा दी गई है, जिसकी प्रारि रसीद स्वयं प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर कर दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (सामान्य अनुभाग) एवं अति० जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि रेस्पोंडेंट द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह रेस्पोंडेंट के जवाब से संतुष्ट है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 13-3-24 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद जाब्ला दाखिल दफतर हो। 	



(नामित मेहता)

प्रथम अपीलीय अधिकारी

लोक सूचना विभाग, भीलवाड़ा